

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख  
अदालत जो इस  
हुकम की तालीफ  
में जारी हुए

13<sup>08</sup>/<sub>19</sub>

पत्रावली पेश हुई। गणेशदास उष.  
अनुपस्थित/ पीठारी अधिकारी  
अपने मर/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आई हुई  
दिनांक 21/08/19 को पेश हो गई।

21<sup>08</sup>/<sub>19</sub>

पत्रावली पेश हुई। गणेशदास उष.  
अनुपस्थित/ पीठारी अधिकारी  
अपने कार्य में व्यस्त पत्रावली अगले  
कार्यवाही हेतु दिनांक 06/09/19  
को पेश हो।

27<sup>09</sup>/<sub>19</sub>


पत्रावली पेश हुई। गणेशदास उष.  
अनुपस्थित/ पीठारी अधिकारी  
अपने कार्य में व्यस्त पत्रावली अगले  
कार्यवाही हेतु दिनांक 01/10/19  
को पेश हो।

01<sup>10</sup>/<sub>19</sub>

पत्रावली पेश हुई। बल्लुलाल उष/अप  
अधिकार प्रतिवादी सं०। को जवाब दावा प्रस्तुत  
कलने के लिए कहा गया। अधिकार प्रतिवादी  
सं०। ने जवाब दावा प्रस्तुत कलने हेतु समय  
चाह गया है।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व  
रेकॉर्ड का सवलोकन किया गया जिनके  
उपलोकन से पाया कि वादीगण वादग्रस्त  
आपजी के 1/2 हिस्सा के रिकॉर्ड  
प्रतिदात हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार  
किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार  
किया जाता है तथा आदेश इस आशय का  
जारी किया जाता है कि:-

आदेश



तन ग्राम रामपुरा तहसील खण्डेला अवस्थित  
कृषि भूमि ख. नं. 1240, 1243 एका 3.81 हे.  
में वादीगण का हिस्सा  $\frac{1}{2}$  एवं ख. नं. 1239,  
1242, 1244 एका 2.51 हे. में वादीगण  
का हिस्सा  $\frac{1}{4}$  में उत्तिवादीगण को ह्व्यायी  
निषेधाज्ञा से पखन्द किया जाता है कि  
वादीगण के कब्जाकाश्त में मजारूमत नहीं  
करें, दीगर से नहीं करवें, वादीगण को बंदख्त  
नहीं करें, पैड. नहीं करवें, सीबंडोल नष्ट  
नहीं करें, फसल नष्ट नहीं करें, निर्माण नहीं  
करें, ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य  
करें, न निर्माण सामग्री डालें, कब्जा नहीं  
करें, भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन  
नहीं करें, भूमियों को छुर्द छुर्द नहीं करें, ना  
ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादी की  
भूमियों का उपयोग - उपभोग में किसी भी  
प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो, मौका  
की मव्यास्थिति बनाने लें। तदनुसार पचा  
डिक्री जारी है। पत्रावली फंसल शुमार होकर  
नम्बर से कम हो तब्या बाद तलमील दाखिल  
दफ्तर है। निर्णय नि छुले न्यायालय में सुनाया  
गया।

(राजीव सिंह)  
सहायक कलेक्टर  
(फसल ट्रेक) खण्डेला

# अन्तिम - डिक्ली मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रुल 6-7 जादा दीवानी)

अज अदालत सहायक कालक्टर कार्ट डेल मुकाम खण्डेला  
 व इजलास श्री रणजीत सिंह, RAS

① रामगोपाल \* बनाम ② धीतमल \*

दावा बाबत स्वार्थ विषेधाता

मुकद्दमा नं. 33 सन 2018  
श्री रणजीत सिंह, RAS

इस मुकद्दमा आज वारते इनफिसाल कर्तई रुबरु श्री जसन्त कृष्ण वर्मा  
 व हाजिरी श्री एसावतार विजानिब मिनजानिब मुद्दई रुबरु

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

तब ग्राम रामपुर तहसील खण्डेला अवस्थित कृषि भूमि ख.नं. 1240, 1243  
कच्चा 3.81 है. में वादीगण का हिस्सा 1/2 ख.नं. 1239, 1244, 1244  
कच्चा 2.51 है. में वादीगण का हिस्सा 1/2 में प्रतिवादीगण को ल्यायी  
विषेधाता से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जाकारत में \*

मिन X गुबलिंग X बाबत X  
 खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद नशरह X फीसदी जमाना आज की तारीख से  
 तारीख अदायगी तक X का अदा करे।

दस्तावे मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 10 सन 2019 को  
 जारी की गई।



दस्तखत [Signature]  
 ओहदा (रणजीत सिंह)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

मीजान

मीजान

\* पुत्र दण्डान् आणि काट विवादी अर्थीयात् स्मरन्

उद्धृतं निला-सीका राज. 1

1. श्री श्री पति गोपबन्धु आणि अग्नी विवादी  
रामपुर तहसील उद्धृतं निला-सीका राज. 1  
— वादी

बलाभ

\* पुत्र बालाभ आणि कुम्हार विवादी रामपुर तहसील  
उद्धृतं निला-सीका राज. 1

2. पटवारी हला रामपुर

3. उपपंजिपण उद्धृतं

4. कृषिवादी तहसीलधारा उद्धृतं

- पुनिवादीराज

\* मजदूर नही कों, शीत से नही कों, चादीराज कों  
द्वेषण नही कों, पैर नही कों, शीत-उत्तल नोट  
नही कों, निर्माण नही कों, ता ही किसी उकार का  
निर्माण कार्य कों, फलत नोट नही कों, न निर्माण  
समाधी डाले, कम्पना नही कों, यदी कों छवि से  
उच्छिष्ट में परिवर्तन नही कों, यदी कों जो छवि-छवि  
नही कों, ता ही दूसरा कों छवि कों जिसे वही  
की यदी कों का उपयोग - उपयोग में किसी भी उकार  
की कों छवि बाधा उत्पन्न हो, योंका की यदी कों नि  
बलाभ (छ)

Dr

(राजीव सिंह)  
सहायक कलक्टर  
(कारट ट्रेक) काठमान्डू